

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-रौनापार01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त गोरख पुत्र रामफेर निवासी मेघपुर महुला थाना रौनापार आजमगढ़ के विरुद्ध थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर मे मु0अ0सं0 121/2019 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर मे पंजीकृत है। जिसमे मा0 न्यायालय कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश/पास्को न्यायाधीश कोर्ट सं0-03 जनपद गाजीपुर द्वारा NBW जारी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक:18.01.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष द्वारा मय फोर्स दबिश जा रही थी। दौरान दबिश NBW कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश/पास्को न्यायाधीश कोर्ट सं0-03 जनपद गाजीपुर सं0मु0अ0सं0 121/2019 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर में वारण्टी अभियुक्त 1. गोरख पुत्र रामफेर निवासी मेघपुर महुला थाना रौनापार आजमगढ़ को अभियुक्त के घर मेघपुर महुला से समय लगभग 07.10 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 121/2019 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गोरख पुत्र रामफेर निवासी मेघपुर महुला थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. मदन कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 देवेन्द्र राय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 संदीप शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-रौनापार01 वारण्टी

अभियुक्त भागवत पुत्र रामधनी यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार आजमगढ़ के विरुद्ध थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ मे मु0अ0सं0 38/2017 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट मे अभियोग पंजीकृत है। जिसमे मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा NBW जारी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक:18.01.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष द्वारा मय फोर्स दबिश जा रही थी। दौरान दबिश NBW मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ मु0अ0सं0 38/2017 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांरणी अभियुक्त 1. भागवत पुत्र रामधनी यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार आजमगढ़ को अभि युक्त के घर हैदराबाद से समय लगभग 11.05 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

भागवत पुत्र रामधनी यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SO नवल किशोर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 रितेश तिवारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 ज्ञान प्रकाश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4.म0का0 अर्चना कुशवाहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 25 व्यक्तियों के विरूद्ध 151

सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।